

केवाईसी

(अपने ग्राहक को जानें)

"केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें)
सरल है लेकिन आवश्यक है -
आपके बैंक खाते को खोलने और
उसे बनाए रखने के लिए"



01

एक आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेज़ (ओवीडी) और हाल की फोटो के साथ-साथ पैन या फॉर्म 60 किसी व्यक्ति का बैंक खाता खोलने के लिए पर्याप्त हैं। ओवीडी के रूप में स्वीकार किए जाने वाले दस्तावेज़: पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार नंबर होने का प्रमाण, भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित नरेगा (NREGA) द्वारा जारी जॉब कार्ड और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम और पते का विवरण हो।

02

अगर आपका मौजूदा पता आपके बैंक के पास प्रस्तुत किए गए प्रमाण पर मौजूद पते से अलग है, तो ई-केवाईसी प्रमाणन, यानी बायोमेट्रिक या ओटीपी आधारित प्रमाणन द्वारा ऑनबोर्डिंग किए जाने पर आपके नए पते की साधारण आत्म-घोषणा काफी होगी।

03

अगर ओवीडी उपलब्ध नहीं है, तो ग्राहक ₹ 50,000 तक की खाते की शेष राशि, ₹ 10,000 प्रति महीने तक की निकासी और हर वित्तीय वर्ष ₹ 1 लाख तक के कुल क्रेडिट के साथ स्व-सत्यापित फोटो जमा करके 'लघु खाता' खोल सकता है।

04

अगर व्यवसाय संबंध/खाता-आधारित संबंध बनाते समय प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों में कोई बदलाव होता है, तो ग्राहक को बदलाव के 30 दिनों में बैंक को अपडेट किए गए दस्तावेज देने होंगे।

05

केवाईसी प्रक्रिया के बारे में कोई भी शिकायत होने पर, कृपया आरबीएल बैंक (संपर्क संख्या- 022 6232 7777, ई-मेल आईडी: customercare@rblbank.com) से संपर्क करें। अगर आप बैंक के जवाब से असंतुष्ट हैं, तो आप भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियुक्त बैंकिंग ओम्बड्समैन (<https://cms.rbi.org.in>) के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

अगर आपको इस संबंध में कोई भी सहायता चाहिए, तो कृपया हमारे ब्रांच अधिकारियों से संपर्क करें।

apno ka bank

